कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कोटा

कमांकःजिशिअ / मा–मु / कोटा / संस्था–1 / नियु.प्रशास–III / 2018 / 2020 / 150 दिनांकः 8.8.2020

कार्यालय–आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्नांकित अभ्यार्थियों को श्रीमान् निदेशक महो0 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102 / प्रशास ग्रेड III / सी.भ. / 2017–18 दिनांक 1.8.2020 के द्वारा **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित चयनित अभ्यार्थियों को **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार **लेवल 8** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय **18500 / –** (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8(1) कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 9.6.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही निदेशालय के आदेश दिनांक 1.8.2020 में अंकित बिन्दु संख्या (ए के क्रम संख्या 1 से 9) के अनुसार परामर्श शिविर आयाजित कर की गयी है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा , इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी कों नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबधी समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से करें । इसके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य कर लेने संबन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबन्धी आशय का 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गयी शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है।
7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिऐ। यदि कोई अभ्यार्थी कीमिलियर की श्रेणी मे आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
9. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिऐ। महिला आवेदकों के मामले मे यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दिया जावे। उपयुक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग में चयनित आवेदको को कार्यग्रहण करावे। यदि कोई अभ्यार्थी क्रीमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालया को भिजवाये।

लगातार ..

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे की वही अभ्यार्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा है।
11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेम्यूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महँगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महँगाई वेतन, विशेष वेतन,बोनस,आदि देय नहीं होगा।
12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि, आदि की कटौती नहीं होगी परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नही माना जावेगा।
13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
14. वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की फिक्स रेम्युनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
15. चयनित अभ्याथियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्याधीन रहते हुये की गयी है।
16. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 4.10.13 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्वता (अण्डरटेकिग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 18.8.2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना तुरन्त अपडेट करें।

(गंगाधर मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा

कमांकःजिशिअ/मा–मु/कोटां/संस्था–1/नियु.प्रशासन–III/2018/2020/150 दिनांकः 8.8.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2. शासन उपसचिव, कार्मिक(क–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
3. सचिव राजस्थान कमचारी चयन बोर्ड जयपुर
4. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा जिला
8. संबंधित संस्थाप्रधान/संबंधित आशार्थी ....
9. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कोटा

पदस्थापन आदेश प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III

क्रमांक:जिशिअ/मा–मु/कोटां/संस्था–1/नियु.प्रशास–III/2018/2020/ 150 दिनांक: 8.8.2020

कस	रोल न0	मैरिट क्रमांक	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	फोटो
1	169966	13	KAVITA MALAV	RAMDAYAL MALAV	10-12-1998	GEN	OBC	राउमावि बडगॉव	कोटा शहर	
2	415086	232	KHUSHBOO SUMAN	SATYA NARAYAN SUMAN	14-11-1996	GEN	OBC	राउमावि बडगॉव	कोटा शहर	
3	175112	549	YOJANA GUPTA	BRIJESH KUMAR GUPTA	27-09-1996	GEN	GEN	राबाउमावि चेचट	खैराबाद	
4	414791	593	CHITRA KUMARI SHARMA	PURUSHOTTAM SHARMA	13-11-1987	GEN	GEN	राउमावि सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	
5	221206	332	MOHD. SAMEER	MOHD RAIS	06-10-1999	GEN	OBC	राउमावि कैथून	लाडपुरा	
6	501981	498	AJAY YADAV	SATYANARAYA N	05-12-1994	OBC	OBC	राउमावि चेचट	खैराबाद	
7	440985	502	RAHUL GOCHAR	RAM KUMAR GOCHAR	22-06-1999	MBC	MBC	राउमावि मण्डाना	लाडपुरा	
8	381046	505	DEEPESH NAGAR	SHIV SHANKAR NAGAR	23-08-2000	OBC	OBC	राउमावि बपावरकलॉ	सॉगोद	
9	171033	542	VIKASH MEHTA	NAROTAM MEHTA	12-03-2000	OBC	OBC	राउमावि सॉगोद	सॉगोद	
10	100722	565	RATAN LAL YADAV	RAMESHWAR LAL YADAV	01-08-1995	OBC	OBC	राउमावि मोडकगॉव	खैराबाद	
11	336473	579	VIKASH SAINI	DHANNA RAM SAINI	01-03-1998	OBC	OBC	राउमावि मोडकगॉव	खैराबाद	
12	356287	583	ANIL DARJI	RAM GOPAL DARJI	05-05-1996	OBC	OBC	राउमावि दीगोद	सुल्तानपुर	
13	117457	603	AMAN KUMAWAT	MAHENDRA KUMAWAT	12-02-1999	OBC	OBC	राबाउमावि रामगंजमण्डी	खैराबाद	
14	136304	606	HARENDRA	DALU RAM	08-07-1992	OBC	OBC	राउमावि मोडकगॉव	खैराबाद	
15	222131	795	UMESH SINGH MEENA	PREM SINGH MEENA	18-02-1994	ST	ST	राउमावि मोरपा	सुल्तानपुर	
16	380477	1418	SONU MEENA	RAMDAYAL MEENA	15-09-1996	ST	ST	राउमावि कनवास	सॉगोद	
17	420670	3002	RAVINDRA KUMAR BAIRWA	HARI PRASAD BAIRWA	05-04-1999	SC	SC	राबाउमावि चेचट	खैराबाद	
18	221972	3371	JITENDRA KUMAR BABERWAL	BANWARI LAL BABERWAL	21-09-1991	SC	SC	राउमावि कनवास	सॉगोद	
19	284510	3796	ABHISHEK MAURIA	KHEMA RAM MAURIA	13-10-1999	SC	SC	राउमावि सातलखेडी	खैराबाद	

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक कोटा